आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Women and Child Development Department (Social Welfare), Government of Assam

Financial Assistance and Support Services to Victims/Survivors of Rape

बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका को अपने जिले के जिला बोर्ड के जरिए आर्थिक सहायता और आश्रय, परामर्श, चिकित्सा व कानूनी मदद जैसी सेवाएं मिल सकती हैं।

क्या मिल सकता है

जिला बोर्ड प्रथम दृष्टया मामला बनने की तसल्ली के बाद 20,000 रुपये की अंतरिम सहायता देता है, और बाकी 1.30 लाख रुपये बाद में। सहायता और सेवाएं मिलाकर 2 लाख रुपये तक सीमित हैं, और विशेष मामलों में राज्य बोर्ड इसे 3 लाख रुपये तक बढ़ा सकता है, जैसे नाबालिग बालिका, दिव्यांग महिला, HIV संक्रमण या गर्भावस्था। महिला की मृत्यु होने पर उसके वारिसों को 1 लाख रुपये, और कमाने वाली होने पर 2 लाख रुपये मिलते हैं।

किसके लिए है

बलात्कार से पीड़ित महिलाएं और नाबालिग बालिकाएं, जिनका पुलिस में मामला दर्ज हो। कुछ स्थितियों में उनकी जगह वारिस, माता पिता या अभिभावक आवेदन कर सकते हैं।

मुख्य शर्तें

- महिला या बालिका योजना की परिभाषा के अनुसार बलात्कार की पीड़ित होनी चाहिए।
- पुलिस में FIR दर्ज होनी चाहिए, और मामला ऐसा हो जिसमें FIR योजना लागू होने के बाद दर्ज हुई हो।
- आवेदन FIR के 60 दिन के भीतर जिला बोर्ड तक पहुंचना चाहिए। देरी का कारण संतोषजनक हो तो बोर्ड बाद का आवेदन भी स्वीकार कर सकता है।
- नाबालिग बालिका की ओर से माता पिता या अभिभावक आवेदन करते हैं, और महिला की मृत्यु होने पर कानूनी वारिस।
- सूचीबद्ध स्थितियों में बोर्ड दावा अस्वीकार कर सकता है, जैसे आवेदक ने बिना देरी पुलिस को सूचना न दी हो या मुकदमे में बयान से पलट गया हो। पहले आवेदक को सुनना जरूरी है।

दस्तावेज़

- निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन (60 दिन के भीतर अनुलग्नक I, 60 दिन के बाद अनुलग्नक II)
- FIR की प्रति
- मेडिकल रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र, जहां वारिस आवेदन करे
- बैंक खाते का ब्योरा

आवेदन कैसे करें

1. पुलिस में FIR दर्ज कराएं और जल्द से जल्द मेडिकल जांच करवाएं।
2. थाना 72 घंटे के भीतर FIR की प्रति, मेडिकल रिपोर्ट और शुरुआती जांच रिपोर्ट जिला बोर्ड को भेजता है।
3. अपने जिले के जिला बोर्ड में निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन दें, जिस पर पीड़िता या उसकी ओर से आवेदन करने वाले के हस्ताक्षर हों।
4. FIR के 60 दिन बाद आवेदन करें तो दूसरा प्रोफार्मा भरें और FIR की प्रति, मेडिकल रिपोर्ट और जहां लागू हो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएं।
5. दावे का फैसला जिला बोर्ड करता है। इसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होते हैं और जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव होते हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://directorateofwomenandchild.assam.gov.in/sites/default/files/swf_utility_folder/departments/dwcd_webcomindia_org_oid_4/do_u_want_2_know/guideline_for_financial_assistance_and_support_services_to_victims-survivor_of_rape.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/assam/as-rape-survivor-financial-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।